

भारतीय डाक



India Post

CV14516888JIN WU:07861  
K: PLMUN HU 265002

Counter NO:1, 82927200

TO: MUKHTI VAM SH, HELDWIN

PLM:265137, MALWAN HU

FROM: KAKYALTA VA, PLMUN

WT: 91.5gms

AMT: 0.0015:36.00

<TRACK ON WWW.INDIAPOST.GOV.IN>

<DIAL 1666266666> Check Marks, Day Date



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2103 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 31-01-2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ- बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी 0 15 से उडलगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 हे० वनभूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०. FP/UK/ROAD/154869/2022.

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1097/FP/UK/ROAD/154869/2022 दिनांक 21.10.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2601/12-1 दिनांक 18.01.2023 से प्राप्त हुआ है तथा प्रस्ताव में आपके द्वारा बिन्दु सं० 6 में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण वन संरक्षक द्वारा प्रपत्र-22 में कर दिया गया है।

अतः प्रस्ताव की तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo\_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 2601 / 121-2  
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 18/01 /2023

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

**विषय -** जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी 0 15 से उडलगाँव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.261 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-154869/2022)

**सन्दर्भ-** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1097/FP/ROAD/154869/2022 दिनांक 21 अक्टूबर 2022।

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स० 1	प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में विषयसूची पृष्ठ संख्या के अनुसार अंकित कर तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 को प्रस्ताव के आरम्भ में कमवार संलग्न किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 को प्रस्ताव के आरम्भ में संलग्न कर तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
3	प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को कमवार प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को कमवार प्रस्ताव में संलग्न कर तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
4	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	प्रस्ताव में संलग्न बार-चार्ट में प्रभावित होने वाली नाप भूमि को संकेत तालिका में दर्शाते हुए बारचार्ट में अंकित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा बार-चार्ट में प्रभावित होने वाली नाप भूमि को संकेत तालिका में दर्शाते हुए बारचार्ट में अंकित कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में बाँज वृक्षों के प्रभावित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	उक्त प्रकरण पर कार्यवाही आपके स्तर से अपेक्षित है।
7	प्रस्तावित परियोजना में नाप भूमि प्रभावित हो रही है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित भू-स्वामियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-2. 24 प्रपत्र 28 एवं प्रपत्र 1.6 ग्राम सभा की खुली

	प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।	बैठक का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की देयता का कटिंग रहित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की देयता का कटिंग रहित प्रमाण पत्र संशोधित कर संलग्न किया गया है।

संलग्न- 04 प्रति में।

भवदीय,

  
(हिमाशु बागरी)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर